213hi19

19

राज्य स्तर पर शासन

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, भारत एक संघ है जहां दो स्तरों राज्य स्तर तथा संघ या केन्द्रीय स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। दोनों ही स्तरों पर प्रत्येक नागरिक सरकारों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है और उनसे प्रभावित होता है। हम राज्य तथा संघीय विधायिकाओं द्वारा बनाये गये कानूनों से निर्देशित होते हैं, दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा शासित होते हैं तथा दोनों स्तरों पर स्थापित न्यायालयों द्वारा न्याय प्राप्त करते हैं। दोनों ही स्तरों पर शासन की तीनों शाखाएं- कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका कार्यरत हैं। शासन व्यवस्था की व्यापक समझ के लिए, इस पाठ में राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा शासन प्रक्रियाओं पर चर्चा की जा रही है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के पश्चात, आप :

- राज्यपाल की नियुक्ति - प्रक्रिया, शक्तियां तथा पदस्थिति की व्याख्या कर सकेगें।
- राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों, राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- राज्य मंत्रिपरिषद की रचना तथा उसकी शक्तियों की व्याख्या कर सकेगें;
- राज्य विधायिका की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण कर सकेगें;
- उच्च न्यायालय का संगठन तथा उसके अधिकार क्षेत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यान्वयन को समझ सकेंगे; तथा
- राज्य स्तर पर सरकार की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे तथा नागरिकों एवं उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

19.1 राज्यपाल

आप ''सांविधानिक मूल्य तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था'' नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत में शासन का संसदीय रूप है। राज्य तथा संघीय दोनों ही स्तरों पर अन्य संसदीय व्यवस्थाओं

की तरह की संस्थाएँ तथा प्रक्रियाएँ हैं। राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है जिसमें संविधान द्वारा राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित की गयी हैं। परंतु राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद करती है।

चित्र 19.1 राजभवन, गुजरात

19.1.1 नियुक्ति

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वहः

(अ) भारत का नागरिक हो,

(ब) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और

(स) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।

यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य है और वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह अपने उस पद से त्यागपत्र देता है। राज्यपाल पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु सामान्यतया वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त का तात्पर्य है कि राज्यपाल अपनी पदावधि के पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह अपनी पदावधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है। यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्यपाल नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाये जाने का निर्णय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार लेता है।

क्रियाकलाप 19.1

यद्यपि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। कभी-कभी जब किसी राज्य का राज्यपाल त्यागपत्र दे देता है तो पड़ोसी राज्य

टिप्पणी

के राज्यपाल को उस राज्य प्रशासन की देख-रेख का भी उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। आज भी इस तरह के कुछ मामले देखे जा सकते हैं। अपने अध्यापकों अथवा दोस्तों अथवा समाचारपत्रों/इंटरनेट से कम से कम एक ऐसे मामले की खोज करें जहां एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है।

19.1.2 राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्तियां जुड़ी होती हैं। राज्य के प्रमुख के रूप में प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल को शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

राज्यपाल की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(अ) कार्यकारी शक्तियाँ (ब) विधायी शक्तियाँ (स) वित्तीय शक्तियाँ

(द) न्यायायिक शक्तियाँ (इ) विवेकाधीन शक्तियाँ

(अ) **कार्यकारी शक्तियाँ :** भारतीय संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गयी हैं जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार करता है। वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों, एडवोकेट जनरल तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। परंतु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियाँ मात्र औपाचारिक हैं। वह मुख्यमंत्री के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत का नेता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही कर सकता है। उसके द्वारा अन्य सभी नियुक्तियाँ तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती हैं।

(ब) **विधायी शक्तियाँ :** राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है और उसे कुछ निश्चित विधायी शक्तियाँ दी गयी हैं। उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने तथा उसका अवसान करने का अधिकार है। वह राज्य विधान सभा को भंग भी कर सकता है। वह राज्य विधानसभा अथवा विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण देता है। यदि एंग्लो-इंडियन समुदाय का विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करता है। यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आपको पुनः स्मरण करा दें कि वास्तविकता में राज्यपाल ये सभी कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करता है। राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून या अधिनियम का रूप लेता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है।

(स) **वित्तीय शक्तियाँ :** आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट विधायिका के पटल पर उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में, राज्य का बजट या 'वार्षिक वित्तीय विवरण' राज्यपाल की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त

कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का राज्य आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

(द) **न्यायिक शक्तियाँ :** राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। वह किसी भी दंड को स्थगित कर सकता है या कम कर सकता है। परन्तु सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के सम्बंध में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार नहीं है।

(इ) **विवेकाधीन शक्तियाँः** जैसाकि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में राज्यपाल की कोई शक्तियां नहीं होती हैं। परंतु संविधान के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है, विवेकाधीन शक्तियाँ कहलाती हैं। प्रथमतः यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दलों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने हेतु निमंत्रण दे सकता है। दूसरे, राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वह भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तृतीय, यदि राज्यपाल यह मानता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है। वैसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद् हटा दी जाती है और राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। ऐसी आपातकाल स्थिति के दौरान, राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य में शासन करता है।

19.1.3 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। सामान्यतः, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्त्तव्यों का पालन करता है। वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति के अनुसार ही करता है। विधानसभा में बहुमत एक दल अथवा दल समूह अथवा निर्दलीय समूहों से मिलकर बनता है। लेकिन जब सदन में एक नेता के चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह, सैद्धांतिक रूप से सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। राज्यपाल उन्हें तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को भेजनी होती है। राज्यपाल राज्य प्रशासन से संबंधित किसी आवश्यक सूचना की मांग भी कर सकता है। यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष उसके विचार के लिए रखने हेतु मुख्यमंत्री से कह सकता है। यह सच है कि राज्यपाल नाममात्र का

प्रमुख होता है तथा वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक या औपाचारिक प्रमुख होता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। वह विशेषतौर पर ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। चूंकि वह केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी है, अतः वह उस समय बहुत प्रभावी हो जाता है, जब केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश भेजती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करने का अवसर देती हैं।

पाठगत प्रश्न 19.1

1. नीचे दिये गये प्रत्येक वाक्य में दिए गए चार में से केवल एक विकल्प ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित (✓) कीजिए।

   (i) राज्यपाल
   (अ) निर्वाचित होता है। (ब) नियुक्त होता है।
   (स) मनोनित होता है। (द) चयनति होता है।

   (ii) राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु
   (अ) 18 वर्ष (ब) 23 वर्ष
   (स) 30 वर्ष (द) 35 वर्ष होनी चाहिए।

   (iii) राज्यपाल की पदावधि
   (अ) दो साल (ब) 5 वर्ष
   (स) 6 वर्ष (द) जीवनभर की होती है।

2. नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत? निशान लगाएँ।

   (i) राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। सही/गलत

   (ii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सही/गलत

   (iii) राज्यपाल राज्यविधायिका का अभिन्न अंग होता है। सही/गलत

   (iv) यदि राज्य विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। सही/गलत

   (v) राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सही/गलत

3. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री तथा कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गयी, उस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गयी, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति की गयी थी। उस संदर्भ में राज्यपाल ने कौन-सी शक्तियों का प्रयोग किया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राज्यपाल को इस तरह की शक्तियाँ दी गयी हैं?

19.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद्

19.2.1 नियुक्ति

जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। आप यह भी जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री अथवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति की तारीख से छः माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का आबंटन किया जाता है।

19.2.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्य

आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि राज्य में जहाँ जो कुछ भी घटित होता है सबके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार माना जाता है। यदि अच्छे कार्य होते हैं तो उनके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है लेकिन यदि गलत कार्य होते हैं तो उनके लिये वह आलोचना का पात्र बनता है। ऐसा क्यों हैं? वास्तव में, राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहः

- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों के आबंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है।
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही विभिन्न मंत्रियों के कामकाज में समन्वय स्थापित करता है।
- राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है तथा राज्य विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन करता है।
- मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच वह एकमात्र कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित लिये गये सभी निर्णयों तथा विधायन के लिए प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
- राज्यपाल की इच्छानुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिसपर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्रिपरिषद के विचाराधीन है, तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

19.2.3 मुख्यमंत्री की स्थिति

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री ही नीतियों का निर्माण करता है तथा उन्हें लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। मुख्यमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विशेषकर उस समय जब एक राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।

परंतु यदि वह गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है तो उसकी भूमिका गठबंधन के अन्य भागीदारों के खींचतान तथा दबाव के कारण प्रतिबंधित हो जाती है। यदि सदन में बहुमत बहुत कम हो तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निर्दलीय विधान सभा सदस्यों के द्वारा भी मुख्यमंत्री दबाव महसूस करता है।

क्रियाकलाप 19.2

राज्य विधान सभा चुनावों में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो सदन में बहुमत प्राप्त करने हेतु एक से अधिक राजनीतिक दल और यहाँ तक की निर्दलीय विधानसभा सदस्य भी मिलकर बहुमत बना लेते हैं। इस तरह की सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। कभी-कभी, राजनीतिक दल चुनावों से पूर्व गठबंधन बना लेते है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यदि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उनके द्वारा बनायी गयी सरकार भी गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है।

उपर्युक्त संदर्भ को समझते हुए निम्नाकिंत कीजिए:

1. ऐसे दो राज्यों का नाम बताइये जहाँ वर्तमान में गठबंधन सरकारें कार्य कर रही हैं तथा उस गठबंधन में भागीदार प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम भी लिखिए।
2. ऐसे राज्यों की पहचान कीजिए जहाँ चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों में गठबंधन बना हो और उन्होंने साथ में चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।

पाठगत प्रश्न 19.2

1. नीचे दिये गए कथनों में सही तथा गलत की पहचान कीजिये:

   (i) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्यपाल करता है। सही/गलत

   (ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की एकमात्र कड़ी है। सही/गलत

   (iii) राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की मंत्रिपरिषद को समक्ष रखने के लिए कह सकता है। सही/गलत

   (iv) राज्य में राज्यपाल सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। सही/गलत

   (v) राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो। सही/गलत

2. निम्नलिखित मामले पर विचार करें।

एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। मीडिया ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।

(i) क्या राष्ट्रपति शासन की संस्तुति के साथ राज्यपाल को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए?

(ii) क्या लोगों को भ्रष्ट निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए?

(iii) क्या लोकतंत्र के हित में सरकार को बने रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है तथा राज्य में शासन करने के लिए पिछले चुनावों में जनादेश प्राप्त कर चुकी है?

19.3 राज्य विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। नीचे चित्र में आप कर्नाटक राज्य की विधानसभा का भवन देख रहे हैं। आइये हम समझें कि राज्य विधायिका का गठन कैसे किया जाता है। कुछ राज्यों में विधायिका द्विसदनीय है अर्थात विधायिका में दो सदन हैं। अधिकांश राज्यों में विधायिका एक सदनीय है अर्थात वहाँ एक ही सदन है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। एक सदनीय विधायिका में विधानसभा होती है तथा द्विसदनीय विधायिका में एक विधानसभा होती है जिसे निम्न सदन तथा दूसरी विधान परिषद होती है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल हैं और बाकी सभी राज्यों के एकसदनीय विधायिका है।

चित्र 19.2 विधान सौधा (विधान सभा) बंगलुरू

19.3.1 विधानसभा का गठन

विधानसभा उन राज्यों में भी वास्तविक विधायिका होती है, जहां द्विसदनीय विधायिकायें हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधान सभा में 500 सदस्यों से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगें। लेकिन गोवा, सिक्किम तथा मिजोरम जैसे बहुत छोटे राज्यों की विधायिकाओं की सदस्य

संख्या 60 से कम है। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि राज्य विधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को सदन के लिए मनोनीत कर सकता है। विधानसभा एक निर्वाचित सदन है। इसके सदस्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित योग्यताओं का उल्लेख किया गया है :

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह 25 की आयु पूरी कर चुका हो;
- उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो;
- वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो; और
- वह सरकारी कर्मचारी नहीं हो।

? क्या आप जानते हैं

सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? ऐसे सभी वयस्क पुरुष/स्त्री जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान तथा लिंग के भेदभाव के बिना, मत देने तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता है। इसी तरह, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य विधान सभाओं की अवधि बढ़ा सकती है; किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

19.3.2 विधानपरिषद का गठन

राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात् उच्च सदन को विधानपरिषद कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती। जम्मू तथा कश्मीर की विधान परिषद में 36 सदस्य हैं यह एक अपवाद है। विधानपरिषद के सदस्य **अंशतः** निर्वाचित तथा **अंशतः** मनोनीत होते हैं

विधानपरिषद की संरचना निम्न रूप में होती है :

- इसके 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/3 सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हैं;

- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, शिक्षण के काम में कम से कम तीन वर्ष से संलग्न हों; और
- शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसलिए यह भंग नहीं होती है। इसके सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित/नामांकित किये जाते हैं। प्रत्येक दो वर्ष में इसके 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जाने के लिए योग्य होते है। राज्य विधानपरिषद का सदस्य बनने की योग्यताएं राज्य विधानसभा के सदस्यों के समान ही हैं। किन्तु विधान सभा के मामले में निम्नतम उम्र सीमा 25 वर्ष है जबकि विधानपरिषद के लिए यह 30 वर्ष है।

राज्यविधायिका की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होती हैं। परंतु दो सत्रों के बीच की अवधि छः माह से अधिक की नहीं हो सकती। राज्य विधानसभा तथा विधानपरिषद अपने पदाधिकारियों जैसे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष तथा विधान परिषद उपाध्यक्ष आदि का चुनाव करती है।

दोनों सदनों का कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो कि सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था भी बनाये रखते हैं।

19.3.3 राज्य विधायिका के कार्य

राज्य विधायिका निम्न तरह के कार्य करती हैः

(अ) **विधायी कार्य :** विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार है। सभी कानून इसके द्वारा पारित किये जा सकते हैं। जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है वहाँ सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे विधानपरिषद के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद या तो उसे पारित कर देती है या अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस लौटाती है। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् की सिफारिशों सहित या उनके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित कर दिये जाने पर यह विधानपरिषद के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद को इसे पारित करके या फिर अपनी सिफारिशों के साथ इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस विधानसभा को लौटाना होता है। यदि विधानसभा विधानपरिषद द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मानती है तब भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों को राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

(ब) **कार्यपालिका पर नियंत्रणः** राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। वह तभी तक बनी रहती है जब

तक विधानसभा का विश्वास उसे प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है। इसके अलावा, विधायिका प्रश्नों और पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है।

(स) **निर्वाचन कार्यः** विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य संबंधित राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं। इसके अलावा, अपने राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(द) **संविधान संशोधनों से संबंधित कार्यः** संविधान संशोधनों से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

19.4 नागरिकों और उनके दैनिक जीवन पर राज्य सरकार के प्रभाव

क्या आपने कभी महसूस किया है कि राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर राज्य विधायिकाओं में होने वाली बहस किस तरह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है? सभी राज्यों द्वारा चलायी जा रही योजनाएं तथा परियोजनाएं हमें प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः प्रभावित करती हैं। इनमें से प्रमुख भाग राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का है। कई बार राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

उदाहरणार्थ आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए 'रेजिडेंशियल ब्रीज कोर्सेज' के द्वारा अभिनव प्रयास किये जा रहे है। ऐसे बच्चों में मानसिक रूप से कमजोर, श्रवण/दृष्टि बाधित तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस तरह के प्रयास इन बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जुड़ने के योग्य बनाते हैं। केन्द्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के रूप में, उत्तरप्रदेश में 95,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से भी अधिक में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना को स्कुलों में कार्यान्वित करने के लिए ग्राम का निर्वाचित प्रधान जिम्मेदार होता है। राज्य मध्याह्न भोजन गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, सोयाबीन और दालों को शामिल करता है। इन बच्चों के लिए जिन अभिनव प्रयासों को अपनाया जाता है, उनमें खेल तथा कम्प्यूटर द्वारा सीखने की प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन लाने में बच्चे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बच्चे जिन्हें 'स्वच्छता दूत' कहा जाता है, स्कूलों, परिवारों और समुदायों में सफाई और स्वच्छता के संबन्ध में जागरूकता ला रहे हैं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंग के रूप में चलाया जा रहा है। नागालैंण्ड की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली जैसे सामाजिक क्षेत्रों में एक नई शुरुआत की है। इन क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण में समुदाय तथा सरकारी संस्थाओं की भागीदारी की ओर वह कदम बढ़ा रही है।

क्या आप जानते हैं

नागालैण्ड में 15 अप्रैल, 2002 को ''नागालैण्ड लोक संस्थाओं तथा सेवाओं का सामुदायीकरण अधिनियम सं. 2, 2002 (नागालैण्ड प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा सेवाओं के सामुदायीकरण नियम, 2002) पारित हुआ। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के सामुदायीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया।

'सामुदायीकरण' शब्द का प्रयोग नागालैण्ड सरकार के प्रमुख सचिव ने पहली बार 2001 में किया था। उन्होंने इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में समुदाय की भागीदारी की अवधारणा की व्याख्या की थी।

प्राथमिक शिक्षा का सामुदायीकरण कई प्रकार से नागा समुदाय की परम्परा एवं चेतना के अनुरूप है। नागा समुदाय के लिए शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। परम्परागत तौर पर ''मॉरोंग'' या गाँव का सभा-भवन शिक्षा का स्थान रहा है, तथा इसमें पूरे समुदाय ने अभिरूचि ली है।

राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के सामुदायीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ 2002 में किया।

पाठगत प्रश्न 19.3

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) ऐसे तीन राज्य कौन से हैं, जिनमें द्विसदनीय विधायिका है?

(ii) यदि विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानपरिषद द्वारा 14 दिन की अवधि में वापस नहीं लौटाया जाता तो क्या होता है?

(iii) कौन-से दो तरीके है जिनके माध्यम से विधायिका मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण रखती है?

(iv) राज्य विधानसभा के कौन-से दो चुनावी कार्य है?

19.5 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय

आपने अपने राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में सुना होगा। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का होना जरूरी है। एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। इस तरह का एक उदाहरण गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र में आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य हैं। प्रायः संघ-शासित क्षेत्रों पर उनके पड़ोसी राज्यों के उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होता है।

चित्र 19.3 उच्च न्यायालया, गुवाहटी

19.5.1 उच्च न्यायालय का गठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक जैसी नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सलाह ली जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं:

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह भारत के किसी क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर आसीन रहा हो; या
- वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्षों तक लगातार, बिना किसी विराम के अधिवक्ता रहा हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इसके पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समावेदन पारित कर दिया जाय तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों को वेतन एवं संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहाँ वे न्यायाधीश थे, अन्य उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य कर सकते हैं।

19.5.2 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/राज्यों या संघ-शासित क्षेत्रों की राजक्षेत्रीय सीमा तक रहता है। उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं — प्राथमिक अधिकार क्षेत्र तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में सीधे लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करना उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ऐसे रिट विधायिका, कार्यपालिका या अन्य किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य विधायिका के किसी सदस्य के निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता है।

क्या आप जानते हैं

रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देश या आदेश हैं। इस तरह न्यायालय इन अधिकारों को गारंटी प्रदान करते हैं।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च न्यायालय जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरु अपीलों की सुनवाई करते हैं। दीवानी मामले के संबंध में जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है। फौजदारी मामलों में सत्र-न्यायालय के वैसे फैसले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है, जहाँ सात वर्षों से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराना आवश्यक होता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अतः सभी अधीनस्थ न्यायालय इसके फैसलों का अनुसरण करते हैं। उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड भी दे सकता है।

19.5.3 अधीनस्थ या अवर न्यायालय

जिला तथा अनुमण्डल स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसके अधीन न्यायिक पदाधिकारियों का एक पदानुक्रम होता है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली पूरे देश में एक जैसी होती है।

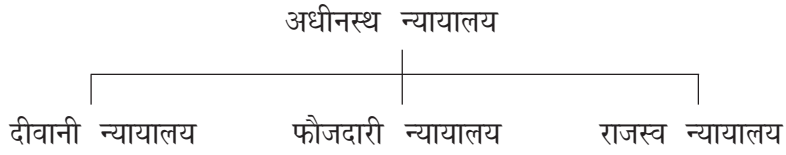

जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है ये अधीनस्थ न्यायालय दीवानी फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

दीवानी मामले : दीवानी न्यायालयों में दायर किए गए मामले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति अनुबन्ध या संविदा, तलाक या मकानमालिक किराएदार के विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे दीवानी मामलों में दण्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता।

फौजदारी मामले : ऐसे मामलों का संबंध चोरी, डकैती, पाकेटमारी, हत्या आदि से होता है। ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध फौजदारी न्यायालयों में दायर किए जाते हैं। इन मामलों में यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो उसे सजा दी जाती है।

राजस्व न्यायालय : राज्य में एक राजस्व बोर्ड होता है। इसके मातहत आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार तथा सह-तहसीलदार के न्यायालय होते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों के विरूद्ध अन्तिम अपील की सुनवाई करता है। किन्तु सभी राज्यों में राजस्व बोर्ड नहीं होता। आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र में राजस्व न्यायाधिकरण (ट्रिबुनल) हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में वित्त आयुक्त होते हैं।

पाठगत प्रश्न 19.4

1. खाली स्थानों को भरिए :

   (अ) गुवाहटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के ..... राज्यों के उच्च न्यायालय का कार्य करता है।

   (ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ..... द्वारा ..... की सलाह से होती है।

   (स) उच्च न्यायालय को ..... अधिकारक्षेत्र तथा ..... अधिकार क्षेत्र हैं।

   (द) अधीनस्थ न्यायालय तीन प्रकार के हैं (i) ..... (ii) ..... (iii) .....

2. अपने राज्य या किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के नामों को एकत्रित करिए। यह पता कीजिए कि उनमें से कितनी महिला न्यायाधीश हैं। आप पाएंगे कि महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, या शायद नहीं है। ऐसी स्थिति के कारणों पर प्रकाश डालिए।

आपने क्या सीखा

- भारत में एक संघीय व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। दोनों स्तरों की सरकारों का गठन तथा उनके कार्य संसदीय पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

- राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुसार उसे व्यापक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं विवेकाधीन अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु वास्तव में विवेकाधीन अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका है। यह ठीक ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है।
- भारत के अधिकतम राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कुछ राज्यों की विधायिका द्विसदनीय है। राज्य विधायिका के दो सदन हैं : विधानसभा तथा विधानपरिषद। एक सदनीय विधायिका वाले राज्यों में केवल विधानसभा होती है। राज्य विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके अतिरिक्त राज्य की विधानसभा मंत्रिपरिषद को भी नियंत्रित करती है।
- उच्च न्यायालय राज्य स्तर की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। उच्च न्यायालय को प्राथमिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

पाठान्त अभ्यास

1. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के कौन-कौन से अधिकार एवं कार्य हैं?
2. राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है?
3. राज्य विधायिका के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कजिए।
4. उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की विवेचना कीजिए।
5. अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

19.1

1. (i) ब
   (ii) द
   (iii) ब
2. (i) गलत
   (ii) सही
   (iii) सही
   (iv) गलत
   (v) सही

3. अपनी समझ के आधार पर उत्तर लीखिए। आप 19.1.2 (इ) देख सकते हैं।

19.2

1. (i) गलत

   (ii) सही

   (iii) गलत

   (iv) गलत

   (v) सही

2. भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लीखिए। अपने बुजुर्गों तथा शिक्षकों से इस तरह के अन्य मामलों का पता लगाइए।

19.3

(i) बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र (कोई तीन)

(ii) ऐसा समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया;

(iii) प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण नोटिस लाकर; (कोई तीन)

(iv) राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा अपने-अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

19.4

1 (अ) सात

   (ब) भारत के राष्ट्रपति ....सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

   (स) प्रारम्भिक, अपीलीय

   (द) (i) दीवानी न्यायालय (ii) फौजदारी न्यायालय (iii) राजस्व न्यायालय

2. आवश्यक सूचना इकट्ठा कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।